

सेवा में,

दिनांक:

शिमला-171001

11 SEP 2024 सितम्बर, 2024

1. The State Project Director (RUSA), Himachal Pradesh
2. The State Project Director Samagra Shiksha, Himachal Pradesh
3. All the Deputy Directors, (Hr. Edu.) in Himachal Pradesh.
4. The Dy Director of Elementary Education, Kaza, Distt. Lahaul & Spiti H.P.
5. The Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla
6. All the Principals Govt. Degree Colleges in Himachal Pradesh.
7. All the Govt. Sanskrit Colleges in Himachal Pradesh.
8. The Principal, Govt College for Teacher Education, Dharamshala H.P.
9. The Principal SCERT Solan, Himachal Pradesh.
10. The Group Commander, NCC Group Headquarters, HP. Shimla-171004.
11. All Central/State/District Libraries in Himachal Pradesh
12. All the Principal/Manager of 95% aided Colleges/Schools in HP

विषय:-

30.04.2024 तक असमायोजित लेखा परीक्षा आपतियों को विवरण से संबन्धित उत्तर बारे।

महोदय

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवगत करवाया गया है कि वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशा0/फा0) से प्राप्त पत्र संख्या -वि0ले0प0प्रि0/ले0प0 आपति/विविध/2024-25/246-64 दिनांक 20.05.2024 के अन्तर्गत सूचित किया गया है कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपतियों वास्तविक व्यय के प्रमाण व संस्वीकृतियां (अर्थात बिल/प्रोफार्मा चालान व वास्तविक आदाता/लाभार्थी की हस्तलिखित रसीद) तथा कार्यों को विस्तृत अनुमान, यूसी/पूर्णता उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि वाउचर के साथ ना पाये जाने के कारण असमायोजित है परन्तु सम्बन्धित कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन आपतियों के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी अनुपालना महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रेषित नहीं की गई है। जिसके कारण असमायोजित आपतियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस संदर्भ में व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने-अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि सभी असमायोजित आपतियों को शीघ्र समायोजित करवाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत करवायें।

संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0),
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।
सितम्बर, 2024

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक शिमला-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय पत्र संख्या: वित्त डी (डी)15-5/2020 दिनांक 31.08.2024 के सन्दर्भ में।
2. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशा0/फा0) हि0प्र0, शिमला-3 को उनके पत्र संख्या वि0ले0प0प्रि0/ले0प0 आपति/विविध/2024-25/246-64 दिनांक 20.05.2024 के संदर्भ में।
3. प्रभारी आई0टी0 (Internal) शाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नस्ति।

संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0),
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।